भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2823
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः किसानों को ई-नाम प्लेटफॉर्म में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना

2823. श्री दुष्यंत सिंहः
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवाः
श्री बसवराज बोम्मईः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार छोटे और सीमांत किसानों को ई-नाम प्लेटफार्म में भाग लेने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर रही है और उनके प्रवेश को आसान बनाने के लिए प्रदान की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) ई-नाम के माध्यम से अंतर-राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने और इस संबंध में परिवहन तथा अवसंरचना जैसी संभारतंत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई-नाम प्लेटफार्म पर और अधिक वस्तुओं को एकीकृत करने, मूल्यवर्धित सेवाओं को शामिल करने अथवा नई प्रौद्योगिकी संबंधी विशेषताओं को समाविष्ट करते हुए इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने की कोई योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय किस प्रकार ई-नाम के विस्तार से छोटे और अधिक दूरदराज के क्षेत्रों के किसानों को लाभान्वित करने की योजना बना रहा है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बाजार के अवसरों और प्रौद्योगिकीय उन्नति तक समान पहुंच प्राप्त हो?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): छोटे और सीमांत किसानों को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की गई हैं ताकि उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके। ई-नाम पोर्टल और मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और पंजीकरण एवं व्यापार प्रक्रिया में किसानों की सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर (18002700224) भी जारी किया गया है।

चूंकि छोटे और सीमांत किसानों की कृषि उपज एकल आधार पर कम होती है, इसलिए उन्हें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के रूप में एक साथ ज्यादा लाभ मिलता है। एफपीओ सदस्य किसानों की उपज को एकत्रित करते हैं और एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल के माध्यम से ई-नाम पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं।

दिनांक 28.02.2025 तक की स्थिति के अनुसार 4392 एफपीओ को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, फार्म गेट मॉड्यूल का उपयोग कर किसान एपीएमसी में जाए बिना भी अपनी उपज बेच सकते हैं।

(ख): कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) को संबंधित राज्य के कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम द्वारा विनियमित किया जाता है। ऑनलाइन अंतर-राज्यीय व्यापार के लिए, अन्य राज्यों के व्यापार लाइसेंसों को मान्यता देने के प्रावधानों को लागू करना आवश्यक है।

ई-नाम के तहत अंतर-राज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार को बढ़ावा देने में लॉजिस्टिक्स चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने ई-नाम प्लेटफॉर्म को ई-नाम 2.0 के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है, जो विभिन्न लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं को शामिल करने की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य लॉजिस्टिक गैप को दूर करना और तेजी से व्यापार, कम बर्बादी और बेहतर किसान आय को सक्षम बनाना है।

(ग) और (घ): राज्य सरकार के विभागों/राज्य कृषि विपणन बोर्डों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर संबंधित वस्तुओं के लिए व्यापार योग्य मापदंडों को अंतिम रूप दिया जाता है। 28 फरवरी, 2025 तक ई-नाम प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन नीलामी के लिए 231 वस्तुओं के व्यापार योग्य मापदंडों को अंतिम रूप दिया गया।

मौजूदा ई-नाम प्लेटफॉर्म को और अधिक कुशल, मजबूत, उपयोगकर्ता-अनुकूल, समावेशी, स्केलेबल और ओपन-नेटवर्क अनुरूप बनाने के लिए इसे अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। ई-नाम 2.0 की मुख्य विशेषताएं बैंक खाता सत्यापन, आधार का उपयोग करके ईकेवाईसी सुविधाएं और परख, लॉजिस्टिक और अन्य मूल्य वर्धित सेवा प्रदाताओं की ऑनबोर्डिंग हैं।

*****